न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय सं० 06, मथुरा

आर०एम० सं०–04/2025

गणेश गौतम बनाम विनोद गौतम आदि

दिनांक–29.04.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 49 ग पर पूर्व में सुना गया।

प्रार्थी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थनापत्र 49 ग प्रस्तुत कर, कथन किया है कि वर्तमान याचिका अधिकारों के न्यायनिर्णयन और संपत्तियों के वितरण के लिए दायर की गई है, जिसमें लॉकर नंबर 159 की सामग्री भी शामिल है, जिसे इस माननीय न्यायालय के आदेश के तहत खोला गया था। उक्त लॉकर खोलने पर कई किसान विकास पत्र (केवीपी) बरामद हुए। इन्वेंट्री और स्वयं प्रमाणपत्रों के अनुसार, ये केवीपी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता और विपक्षी दलों (जैसे गणेश, विनोद, रुचि, बबली, आदि, बैंक अनुसूची के अनुसार) के संयुक्त/व्यक्तिगत नामों में जारी किए गए हैं। न्यायालय के मुनसरिम/रीडर ने दिनांक 15.04.2026 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें कुल न्यायालय शुल्क ₹12,47,842/– आंकलित किया गया है। इस गणना में, ₹13,70,000/– मूल्य के केवीपी पर 8.75% की दर से ₹1,19,875/– का न्यायालय शुल्क लगाया गया है। याचिकाकर्ता निम्नलिखित आधारों पर इस रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है:–

क) लॉकर नंबर 159 में पाए गए केवीपी पहले से ही वर्तमान याचिका में शामिल पक्षों के नाम पर हैं। याचिकाकर्ता किसी तीसरे पक्ष से धन की नई "वसूली" नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से ही उनके नाम पर मौजूद दस्तावेजों के न्यायिक भौतिक कब्जे और वितरण की मांग कर रहा है। इसलिए, कुल अंकित मूल्य पर 'एड–वैलॉरम' (मूल्यानुसार) न्यायालय शुल्क कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है।

ख) केवीपी दस्तावेजों पर 8.75% की अधिकतम स्लैब थोपना मनमाना और अत्यधिक है। चूंकि ये सुरक्षित सरकारी दस्तावेज हैं जिनमें धारकों की पहचान पहले से ही सुनिश्चित है , इसलिए न्यायशुल्क धन की वसूली के मुकदमे के बजाय घोषणाओं (declarations) या उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों पर लागू निर्धारित अनुसूची द्वारा शासित होना चाहिए।

ग) वर्तमान कार्यवाही प्रकृति में विविध (miscellaneous) है। रिकॉर्ड पर संपत्ति लाने के प्रारंभिक चरण में पूर्ण 'एड–वैलॉरम' न्यायालय शुल्क की मांग करना न्याय में बाधा डालता है और कोर्ट फीस अधिनियम के विपरीत है। मुंसरिम रिपोर्ट इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता पहले से ही बरामद कई केवीपी में एक नामित धारक /लाभार्थी है और किसी को उस चीज़ को "वसूली" करने के लिए 'एड–वैलॉरम' कोर्ट फीस देने के लिए नहीं कहा जा सकता जो पहले से ही कानूनी रूप से उनके नाम पर प्रलेखित है। अतः प्रार्थी/याचिकाकर्ता द्वारा किसान विकास पत्र पर न्यायालय शुल्क की गणना के संबंध में दिनांक 15.04.2026 की मुंसरिम/रीडर रिपोर्ट को निरस्त करने, केवीपी को पक्षों की मौजूदा संपत्ति मानते हुए न्यायालय शुल्क का नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश देने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2026 को अमीन प्रथम जनपद न्यायालय मथुरा के माध्यम से आर.एम. सं०–04/2025 गणेश गौतम बनाम विनोद गौतम आदि की पत्रावली में भारतीय स्टेट बैंक, कैंट शाखा, मथुरा के लॉकर सं० 159 की इन्वैन्ट्री मय आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश किया गया था तथा अमीन प्रथम, जनपद न्यायालय, मथुरा द्वारा अपनी आख्या मय इन्वैन्ट्री न्यायालय के समक्ष दिनांक–25.03.2026 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें अमीन प्रथम द्वारा उभयपक्ष व शाखा प्रबंधक एवं बैंक कर्मचारी की उपस्थिति में, लॉकर सं० 159 में सोने व चांदी का कुल मूल्य 1,30,43,333.00 आंका गया तथा कुल 109 किसान विकास पत्र जिनका कुल मूल्य 13,70,000/–अंकित किया गया।

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.04.29 16:34:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त के संबंध में न्यायालय द्वारा मुंसरिम/रीडर से अमीन प्रथम द्वारा प्रस्तुत आख्या मय इन्वेन्ट्री में वर्णित मूल्यांकन की बावत न्यायालय में कोर्ट फीस जमा करने के संबंध में, कोर्ट फीस का विवरण आहूत किया गया था, जिस पर न्यायालय के समक्ष मुंसरिम/रीडर द्वारा उपरोक्त देय न्यायशुल्क की बावत अपनी आख्या दिनांक–15.04.2026 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें मुंसरिम/रीडर द्वारा किसान विकास पत्र के मूल्य 13,70,000/–रूपये पर न्यायशुल्क की गणना के संबंध में 8.75 प्रतिशत के हिसाब से 1,19,875/–रूपये देय करने एवं लॉकर सं० 159 में रखे सोने व चांदी का कुल मूल्य 1,30,43,333.00 पर न्यायशुल्क मुव. 10,97,542/–रूपये देय करने का उल्लेख किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आख्या के अनुक्रम में भारतीय स्टेट बैंक, कैंट शाखा, मथुरा के लॉकर सं० 159 में 109 किसान विकास पत्र जिनका कुल मूल्य 13,70,000/–रूपये होने का इन्द्राज किया गया है, जो कि सरकारी दस्तावेज है, जोकि पत्रावली में वर्णित उभयपक्ष के नाम से जारी है, जिस पर न्यायशुल्क लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 49 ग निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, अमीन प्रथम जनपद न्यायालय मथुरा की आख्या मय इन्वेन्ट्री के अनुक्रम में 109 किसान विकास पत्र जिनका कुल मूल्य 13,70,000/–रूपये है के न्यायशुल्क की गणना की बावत निरस्त किया जाता है तथा मुंसरिम/रीडर को आदेशित किया जाता है कि वह अमीन प्रथम की आख्या मय इन्वेन्ट्री के अनुक्रम में लॉकर सं० 159 में रखे चांदी व सोने का कुल मूल्य 1,30,43,333.00 पर न्यायशुल्क के संबंध में अपनी आख्या न्यायालय के समक्ष नियत तिथि को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु दिनांक––––––को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–06, मथुरा